PW-3 Comp 112 dt 26/4/17

पत्रांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017 1481/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
24-MAY-17
474547

राँची/दिनांक : 21.4.17

संकल्प

विषय :– दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को जनवरी, 2017 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका– 9.1 में दिनांक 01.01.2016 एवं 01.07.2016 के प्रभाव से महँगाई राहत क्रमशः शून्य प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 42/15/2016-P&PW(G) दिनांक 07.04.2017 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर को 2% (दो प्रतिशत) की विद्यमान दर से बढ़ाकर 4% (चार प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में संशोधन हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से मूल पेंशन का 4% (चार प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जायेगा"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1463/वि० दिनांक 18.04.17 के क्रम में दिनांक 18.04.2017 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/ उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

Accountant General (A&E)
25 APR 2017

EDP DAI
L-238

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017 1481/वि० राँची, दिनांक 21.4.17

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

T-1988
26/4/17

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

OGP

ज्ञापांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017 1481/वि० राँची, दिनांक 21.4.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।